न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2025 G.C.M.S. No. 2024/513 दर्ज दिनांक : 02.01.2025

अपीलार्थिगण:

1. हीराराम वल्द अनीया, जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
2. रणजीतमल वल्द अनीया जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
3. शिवनारायण व वल्द तोगाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
4. सवाराम वल्द आदाराम फौत के वारीसानः—
   - 4/1. मौकी देवी पत्नी सवाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 4/2. नारायणलाल वल्द सवाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 4/3. धनाराम वल्द सवाराम, जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लादाराम पुत्र चतराराम जी फौत के कायम मुकाम
   - 1/1. खेताराम पुत्र लादाराम जाति मीणा निवासी बेदाणा खुर्द
   - 1/2. प्रकाश कुमार पुत्र लादाराम जाति मीणा निवासी बेदाणा खुर्द
   - 1/3 ईश्वर पुत्र लादाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 1/4. चुनी पत्नी लादाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
2. रूपाराम वल्द चतराराम फौत के कायम मुकाम वारीसान
   - 2/1 अशोक कुमार पुत्र रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/2. शिवकुमार पुत्र रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/3. मीराकुमारी पुत्री रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/4. दुर्गाकुमारी पुत्र रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/5. रेखा कुमारी पुत्री रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/6. पायल पुत्र रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/7 विकेश पुत्र पुत्र रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/8. चम्पा पत्नी रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
   - 2/9. अजु पुत्री रूपाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
3. हंसाराम पुत्र चतराराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
4. कपूराराम पुत्र छोगाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
5. पूनाराम पुत्र छोगाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
6. पोमाराम पुत्र छोगाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
7. मगनाराम वल्द किस्तुराराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द
8. मदन कुमार पुत्र लादाराम जाति मीणा, निवासी वेदाणा खुर्द तहसील आहोर जिला जालोर
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आहोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा गुडा बालोतान, तहसील आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2023 बअनवान लादाराम बनाम कपूराराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 24.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2023 बअनवान लादाराम बनाम कपूराराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

सरहद मौजा बेदाणा खुर्द पटवार सर्कल उम्मेदपुर आर.आई. सर्कल गुडाबालोतान तहसील आहोर जिला जालोर में खसरा नम्बर 271 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.81 हैक्टर कुल रकबा 03.91 हैक्टर किस्म नहरी दोयम स्थित है। दावा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने पेश किया उस दावे में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 वादीगण ने अपना 1/5 हिस्सा होना बताया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर एक इंच भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। वादी के पिता चतरा का नाम गलत दर्ज हे। अपील के साथ संलग्न जमाबंदी में अंजू पूत्री रूपाराम का 1/135 हिस्सा, अशोक कुमार पुत्र रूपाराम 1/135 हिस्सा, चम्पा देवी पत्नी रूपाराम 1/135 हिस्सा, दुर्गा पुत्री रूपाराम का 1/135 हिस्सा, पायल पुत्री रूपाराम का 1/135 हिस्सा, मीरा पुत्री रूपाराम का 1/135 हिस्सा, रेखा पुत्री रूपाराम 1/135 हिस्सा, विकेश पुत्र रूपाराम का 1/135 हिस्सा, शिवकुमार पुत्र रूपाराम का 1/135 हिस्सा दर्ज है।

होसाराम पुत्र चतराराम का 1/15 हिस्सा दर्ज है। ईश्वर कुमार पुत्र लादाराम का 1/75 हिस्सा, खेताराम पुत्र लादाराम का 1/75 हिस्सा, चुन्नीदेवी पत्नी लादाराम 1/75 हिस्सा, प्रकाश कुमार पुत्र लादाराम का 1/75 हिस्सा दर्ज है। मदन कुमार पुत्र लादाराम का 1/75 हिस्सा दर्ज है जो मृतक लादाराम पुत्र चतराराम वादी संख्या 01 का पुत्र है इसका नाम जमाबंदी में दर्ज है लेकिन दावे में तथा निर्णय में मदन कुमार का नाम अंकित नहीं है। बंटवारे के दावे में सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाना आवश्यक है। जमाबंदी के क्रम संख्या 07 में तोगाराम पुत्र अनिया का 1/15 हिस्सा दर्ज है उसकी मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो चुकी है उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। ग्राम बेदाणा खुर्द में कस्तुराराम, अनाराम, अदाराम, नन्दाजी, चतराराम ये पांच भाई थे, जिसमें से नदाजी को तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

चतराजी को दोनो भाईयो को इस जमीन के समायोजन में गांव के अन्दर दूसरी जमीन मौखिक बंटवाडे में दे दी थी तब से इनका कब्जा इस जमीन पर नहीं रहा लेकिन चतराजी ने अपने जीवनकाल में इस जमीन बाबत कभी हक क्लेम नहीं किया ओर चतरा जी की मृत्यु के बाद इनके तीनो पुत्रों ने बिना कब्जे बंटवाडा का दावा पेश कर बंटवाडा की आड में कब्जा प्राप्त करने की कोशिश की है इसके अलावा नदाजी को भी इस जमीन के ऐवज में दूसरी जगह जमीन दे दी इसलिए नदाजी ने तो अपने जीवनकाल में ही इस जमीन बाबत कभी क्लेम नहीं किया लेकिन चतरा जी के पुत्रो ने बिना कब्जे का दावा पेश किया है। इस प्रकार पाच सगे भाईयो में से दो भाईयो को नदाजी व चतराजी को अन्य जमीन दे दी गयी थी पीछे तीन भाई कस्तुराराम अनाराम व अदाराम प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा रहा।

कस्तुराराम के दो पुत्र छोगाराम व मगनाराम हुए जिसमें से मगनाराम व छोगाराम ने शिवनारायण पुत्र तोगाराम वादी संख्या 03 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया इसलिए कुल जमीन में 1/3 हिस्सा कब्जा है। जो इस अपील में अपीलांट संख्या 03 है।

एक अन्य पुत्र अनाराम फौत के वारीसान तोगाराम, हीराराम, रणजीतमल है कुल जमीन का 1/3 हिस्से का कब्जा इनके पास है। इनके हिस्से में अनाजी ने अपने खर्चे से ओपन कुआ खुदवाया तथा हीराराम ने अपने नाम से 7.5 एच.पी. का कृषि लिया हुआ है।

अदाराम के एक पुत्र सवाराम हुए जो वर्तमान में फौत है उनके वारीसान अपीलांट संख्या 04 मौकी देवी, नारायणलाल व धनाराम है इन तीनो का कुल जमीन में 1/3 हिस्से पर कब्जा कास्त है।

वादीगण ने उपरोक्त तथ्यो को छुपाते हुए दावा पेश किया है वादीगण ने अपने दावे में यह कही भी नही बताया है कि वादीगण का कब्जा किस खसरे में कौनसी दिशा की तरफ है वादीगण ने अपने दावे में यह भी नहीं बताया है कि वादीगण किसी खातेदार के साथ शामलाती कास्त करते है। अपीलांट को उपरोक्त मूल दावे में एक भी सम्मन व दावे की प्रति प्राप्त नहीं हुई पूरी पत्रावली में अपीलांट के नाम केवल मात्र एक सम्मन जारी करना बताया वह भी पर्याप्त रूप से/व्यक्तिगत रूप से अपीलांट को तामिल नहीं हुआ इस कारण वादीगण अपना पक्ष जवाबदावे/सबूत साक्ष्य के रूप में रखने से वंचित हो गये है। वादीगण कुल 13 है जिसमें एक भी वादी ने शपथपत्र पेश कर साक्ष्य के रूप में अपने बयान नहीं करवाये व न ही कब्जा होने का उल्लेख किया व न ही एक भी दस्तावेज को प्रदर्श नहीं करवाया गया। बिना प्रदर्श करवाये दस्तावेज को आधार मानते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने से अपीलाधीन निर्णय प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री अपास्त फरमावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2024 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.12.2024 को प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके पर आर. आई. हल्का व पटवारी आए तब जानकारी प्रथम बार हुई कि फैसला हो गया है। दिनांक 01.01.2025 को आवश्यक नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जो उसी दिन नकल प्राप्त हुई। तारीख 01.01.2025 से यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिविरूद्ध है। लिहाजा, ऐसे प्रकरण में विलंब सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 25.06.2024 के अंकन अनुसार उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा असालतन/वकालतन राजीनामा/सहमति निष्पादन बाबत् कोई दस्तावेज नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 05 से 08 की ओर से अधिवक्ता बतौर पैरोकार उपस्थित है, तथा दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को कभी भी साक्ष्य वादी हेतु नियत नहीं की गयी एवं न ही प्रकरण में साक्ष्य ली गयी।
4. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जाता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2023 बअनवान लादाराम बनाम कपूराराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 23.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली